

जय मू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

जून अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2021 / 262

तारीख तिथि : 06.10.2021

फैसला तिथि : 14-5-22

प्रार्थी:-

कमलेश कुमार, दिनेश प्रजापत पुत्रगण छोगाराम, जातिगण कुम्हार  
निवासीगण बेडल तहसील बाली .

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली  
उपस्थिति:-

1. श्री कमलेश कुमार, श्री दिनेश प्रजापत ..... स्वयं प्रार्थीगण
2. नायब तहसीलदार, बाली ..... पैरोकार सरकार की ओर से

--- आदेश ---

दिनांक 14-5-22

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 498/1 रकबा 1.5200 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम कानाराम पुत्र छोगाराम व दीपक पुत्र छोगाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम कमलेश कुमार पुत्र छोगाराम व दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार दर्जित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम कानाराम पुत्र छोगाराम व दीपक पुत्र छोगाराम दर्ज होने तथा प्रार्थीगण द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड के अनुसार प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम कमलेश कुमार पुत्र छोगाराम व दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नाम कानाराम पुत्र छोगाराम व दीपक पुत्र छोगाराम के स्थान पर कमलेश कुमार पुत्र छोगाराम व दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम कमलेश कुमार पुत्र छोगाराम व दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा धारित आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड की प्रतियां पेश कर दी हैं। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम कानाराम पुत्र छोगाराम व दीपक पुत्र छोगाराम दर्ज है, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 498/1 रकबा 1.5200 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम कानाराम पुत्र छोगाराम व दीपक पुत्र छोगाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम कमलेश कुमार पुत्र छोगाराम व दिनेश कुमार पुत्र छोगाराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रिकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.)  
मू० अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) बाली

मू० अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) बाली  
बाली, जिला-पाली (राज.)